उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक लि.
मुख्यालय, 2–महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

पीबीएक्स 0522–4151200
फैक्स 0522–2629284
ई.मेल upcb.bkg@upscb.com

पत्रॉक :बैंकिंग / एमएसएमई / एफ–304 / 2023–24 / 607
दिनॉक : 12 मार्च, 2024

शाखा प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक,
उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0,
समस्त शाखायें,
उत्तर प्रदेश।

विषय : बैंक में एमएसएमई योजना लागू करने के सम्बन्ध में।

बैंक की प्रबन्ध समिति द्वारा दिनांक 11.03.2024 को पारित प्रस्ताव संख्या–20 के कम में बैंक में एमएसएमई योजनान्तर्गत ऋण वितरण निम्नलिखित नियमों, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जाता है :–

1. **ऋण का उद्देश्य :–**
केवल वास्तविक व्यवसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के कम में अस्थायी नकदी की कमी / असंतुलन दूर करने के लिए। यह सुविधा अन्य बैंकों या संस्थानों के ऋणों की चुकौती, गैरजमानती ऋण आदि अथवा ऐसे किसी भी उद्देश्य जो उधारकर्ता की गतिविधियों से सम्बन्धित नहीं है, जैसे अन्य उद्देश्यों के लिए उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

2. **ऋण की पात्रता :–**
   - मैन्यूफैक्चरिंग एवं सेवाक्षेत्र में कार्य करने वाले उद्यमी / फर्म / यूनिट आदि जिसको एमएसएगई के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हो।
   - जो यूनिट पहले से चल रही हैं, उनकी विगत तीन वर्षों की आडिटेड बैलेन्स शीट एवं आगामी 05 वर्षों की प्रोजेक्टेड बैलेन्सशीट एवं सी0ए0 के माध्यम से प्राप्त डीटेल्ड प्रोजेक्टेड रिपोर्ट
   - नये व्यवसायियों के मामलों में आगामी 05 वर्षों की प्रोजेक्टेड बैलेन्सशीट एवं सी0ए0 के माध्यम से प्राप्त डीटेल्ड प्रोजेक्टेड रिपोर्ट तथा हर वर्ष की समाप्ति पर आडिटेड बैलेन्सशीट ली जायेगी।
   - पूर्व से चल रही फर्म / यूनिट को विगत तीन वर्षो में लाभ में हों अथवा यूनिट तीन वर्ष से कम अवधि में चली हो तो इस अवधि में फर्म लाभ पर रही हो।
   - एमएसएमई उद्यमी को सभी डियूटी, फीस जैसा कि विधि द्वारा स्थापित किया गया है सम्बन्धित विभागों में जमा करना होगा जैसा कि विधि द्वारा स्थापित किया गया है।
   - एमएसएमई ऋणी से ऋण एग्रीमेन्ट कराया जायेगा।
   - निरीक्षण / लेखा परीक्षा सम्बन्धी कोई अनियमितता नहीं होनी चाहिए तथा सभी रिटर्न्स सम्बन्धित नियामक संस्थाओं यथा–इनकमटैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न आदि समय पर भरे जाने चाहिए।
   - ऋण लेने वाली फर्म / यूनिट के पास उद्योग आधार नम्बर अवश्य होना चाहिए अन्यथा की स्थिति में ऋण स्वीकृत किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।

- ऋण लेने वाली फर्म/यूनिट एवं उन व्यक्तियों जिनके द्वारा यह फर्म/यूनिट चलाई जा रही है, उनके पैन नम्बर अवश्य होने चाहिए।
- फर्म/यूनिट का जीएसटीएन नम्बर अवश्य होना चाहिए।
- फर्म/यूनिट एवं उन व्यक्तियों को जो उक्त फर्म/यूनिट संचालित कर रहे हैं उनको किसी बैंक/संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। इस आशय का लिखित घोषणा पत्र के साथ–साथ सिबिल रिपोर्ट भी प्राप्त करनी आवश्यक है।
- सीजीटीएमएसई गारण्टी कवर लेने वाले ग्राहकों को सीजीटीएमएसई द्वारा निर्धारित शर्तों को पूर्ण करना होगा।
- कृषि यूनिट, एनिमल हस्बैण्ड्री यूनिट, ऋण की पात्र नहीं होंगी तथा सीजीटीएमएसई के अन्तर्गत गारण्टी कवर प्राप्त करने हेतु जिन उद्योगों को अनुमन्य किया गया है उनके अतिरिक्त किसी अन्य उद्योग पर सीजीटीएमएसई गारण्टी नहीं प्रदान होगी।
- ऋणी की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- एमएसएमई उद्यमी को उस क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए जिस क्षेत्र में वह इकाई/यूनिट स्थापित करना चाहता है अथवा चला रहा है।
- ऋणी (ऋण लेने वाली फर्म) का चालू खाता एवं सीसी खाता बैंक की शाखा में अनिवार्य है तथा ऋणी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जायेगा कि जिस व्यवसाय हेतु उसे लोन दिया जा रहा है अथवा उसकी फर्म द्वारा किये जाने समस्त प्रकार के वैधानिक लेन–देन इसी खाते के माध्यम से किये जायेगें तथा किसी भी दशा में इसका उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
- एमएसएमई यूनिट की नेट वर्थ धनात्मक होनी चाहिए।
- सीजीटीएमएसई गारण्टी कवर के अन्तर्गत उन ऋणियों को ऋण स्वीकृत नहीं किया जायेगा, जिनका उल्लेख सीजीटीएमएसई द्वारा अपनी गाईडलाइन्स में किया गया है:–

  The following credit facilities shall not be eligible for being guaranteed under the Scheme: -

  (i) Any credit facility in respect of which risks are additionally covered under a scheme operated / administered by Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation or the Reserve Bank of India, to the extent they are so covered. (ii) Any credit facility in respect of which risks are additionally covered by Government or by any general insurer or any other person or association of persons carrying on the business of insurance, guarantee or indemnity, to the extent they are so covered.

  (iii) Any Credit facility shall not be eligible to covered under the Scheme if the said credit facility has been covered for guarantee through NCGTC Ltd.

  (iv) Any credit facility, which does not conform to, or is in any way inconsistent with, the provisions of any law, or with any directives or instructions issued by the Central Government or the Reserve Bank of India, which may, for the time being, be in force.

  (v) Any credit facility granted to any borrower, who has availed himself of any other credit facility covered under this scheme or under the schemes mentioned in clause (i), (ii), (iii) and (iv) above, and where the lending institution has invoked the guarantee provided by the Trust or under the schemes mentioned in clause (i), (ii), (iii) and (iv) above, but has not

repaid any portion of the amount due to the Trust or under the schemes mentioned in clause (i), (ii), (iii) and (iv) above, as the case may be, by reason of any default on the part of the borrower in respect of that credit facility.

(vi) Any credit facility which has been sanctioned by the lending institution against collateral security and / or third party guarantee. However, after the introduction of Hybrid Security model, MLIs can cover the unsecured part of the credit facility(ies) under CGTMSE upto the overall exposure of ₹60.00 lakh.

3. **ऋण का प्रयोजन**

ऋण का प्रयोजन मैन्यूफैक्चरिंग करना या सेवा क्षेत्र होना चाहिए या एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अनुमन्य क्षेत्र या सीजीटीएमएसई द्वारा अनुमन्य क्षेत्र।

4. **योजना का कार्यक्षेत्र**

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0 का कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश है इसलिए बैंक उ0प्र0 सीमा के अन्तर्गत स्थापित एमएसएमई इकाईयों आदि को नियमानुसार ऋण उपलब्ध करायेगा।

5. **ऋण की सीमा एवं मार्जिन मनीः–**

- ऋण की अधिकतम सीमा रू0 60.00 लाख होगी।
- टर्म लोन हेतु मार्जिन 20 प्रतिशत होगा तथा कैश केडिट ऋण सीमा हेतु मार्जिन 20 प्रतिशत ही रहेगा।
- कैश केडिट ऋण सीमा का निर्धारण टर्न ओवर मैथड के आधार पर किया जायेगा। नायक कमेटी के अनुसार वार्षिक टर्न ओवर या प्रोजेक्टेड वार्षिक टर्न ओवर का अधिकतम 20 प्रतिशत ही वर्किंग कैपिटल लिमिट स्वीकृत की जायेगी। जो किसी भी दशा मे रू0 60.00 लाख से अधिक नही होगी।

6. **ऋण अवधि** :–

टर्म लोन हेतु ऋण की अवधि–

- 05 वर्ष के लिए (06 माह का मेराटोरियम पीरियड सहित यदि ऋणी लिखित अनुरोध करता है तब प्रदान किया जायेगा) होगी। अन्यथा की स्थिति में ऋण की वसूली 60 समान मासिक किस्तों में की जायेगी।

- ऋणी द्वारा टर्म लोन लेने पर प्लान्ट मशीनरी एवं उपकरणों हेतु (जैसा कि एमएसएमई पालिसी में दिया गया है के अनुसार) स्वीकृत होगा। बैंक शाखा ऋणी से प्लान्ट मशीनरी आदि की प्रोफार्मा इनवॉइस अनुरोध पत्र के साथ प्राप्त करेगी तथा प्लान्ट मशीनरी सप्लाई करने वाली फर्म (सप्लायर) के खाते में आरटीजीएस, एनईएफटी, बैंक ड्राफ्ट आदि के माध्यम से धनराशि अंतरित करेगी। धनराशि अंतरित करने से पूर्व शाखा प्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक भली–भांति ऋणी को प्लान्ट एवं मशीनरी सप्लाई करने वाली फर्म के खाते के बारे में छानबीन करके ही धनराशि अंतरित करेगी ताकि किसी प्रकार के फ्रॉड आदि की स्थिति उत्पन्न न हो।

- सप्लायर्स को एमएसएमई परिपत्रों के अनुसार प्लान्ट एवं मशीनरी आदि की सप्लाई निर्धारित अवधि के अन्दर करनी होगी।

वर्किंग कैपीटल हेतु कैश केडिट ऋण सीमा –

- 01 वर्ष होगी तथा 01 वर्ष पश्चात् यदि ऋणी ब्याज सहित 75 प्रतिशत धनराशि जमा कर देता है तो कैश केडिट ऋण सीमा को रिन्यू किया जा सकेगा तथा टर्न ओवर मैथड के आधार पर ऋण सीमा रू0 60.00 लाख तक घटायी या बढ़ाई जा सकती है। यदि ऋणी द्वारा टर्म लोन लिया गया है तो ऋण सीमा का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि कुल मिलाकर ऋण (टर्म लोन+वर्किंग कैपीटल रू0 60.00 लाख से अधिक न हो)

- कैश केडिट ऋण सीमा किसी दशा में स्वीकृत ऋण सीमा से अधिक नहीं होगी।

7. **ब्याज दर :–**

- 11 प्रतिशत वार्षिक

(सीएमआर 01 से 03 होने पर तथा नये उद्यमियों के मामले में एनटीसी स्कोर 150 से ऊपर होने पर)

- 11.25 प्रतिशत वार्षिक **(सीएमआर 04 से 06 होने पर तथा नये उद्यमियों के मामले में एनटीसी स्कोर 131 से 150 तक होने पर)**

06 माह के मेराटोरियम पीरियड की अवधि में ऋणी को प्रतिमाह बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज बैंक में जमा करना होगा। ब्याज में मेराटोरियम अवधि की सुविधा नहीं दी जायेगी।

8. **पुर्नभुगतान क्षमता:–**

- ऋण/ऋणी की पुर्नभुगतान क्षमता का आंकलन ऋण प्राप्त करने वाली फर्म/यूनिट द्वारा दी गयी बैलेन्स शीट, प्रोजैक्टेड बैलेन्स शीट, लाभ हानि खाते का विवरण और कैश फ्लो स्टेटमेण्ट आदि के आधार पर सी0ए0 के माध्यम से कराया जायेगा।

- ऋण प्राप्त करने वाली फर्म यूनिट के ओनर्स/संचालक/फर्म को चलाने वाले पार्टनर्स/प्रोपराइटर का विगत तीन वर्षो का व्यक्तिगत आईटीआर भी प्राप्त किया जायेगा तथा उसके आधार पर पुनर्भुगतान क्षमता का आंकलन सीए के माध्यम से कराया जायेगा।

9. **ऋण का अप्रेजल:–**

- ऋण का अप्रेजल मुख्य प्रबन्धक/शाखा प्रबन्धक द्वारा या शाखा के किसी अधिकारी, जिसे मुख्य प्रबन्धक या शाखा प्रबन्धक द्वारा नामित किया गया हो, किया जायेगा। नामित अधिकारी या मुख्य प्रबन्धक यूनिट का स्थलीय निरीक्षण करेगा एवं व्यवसाय के वायबेलिटी के सम्बन्ध में अपना स्पष्ट मत देगा।

- ऋण का वित्तीय/टेक्निकल अप्रेजल बैंक के सी0ए0 के माध्यम से किया जायेगा। सी0ए0 के द्वारा स्पष्ट रिपोर्ट दी जायेगी कि ऋण स्वीकृत किया जा सकता है अथवा नहीं। तदनुसार कार्यवाही की जायेगी। बैंक के सी0ए0 की रिपोर्ट के बिना कोई भी ऋण स्वीकृत नहीं किया जायेगा। शाखा सी0ए0 से बिजनेस की

वायबेलिटी एंव ब्रेक ईवेन के बारे में स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त करेगी। व्यवसाय वायबेल होने पर ही ऋण स्वीकृत किया जायेगा।

- शाखा स्तर पर गठित लोन कमेटी एमएसएमई ऋणों को स्वीकृत करेगी, जो ऋण सीजीटीएमएसई से आच्छादित हैं उन्हें मुख्यालय स्तर पर गठित अर्बन लोन फैक्ट्री में स्वीकृति हेतु न भेजा जाये।

10. **ऋण की सुरक्षा/प्रतिभूति :–**

- जो ऋण सीजीटीएमएसई गारण्टी कवर के अन्तर्गत स्वीकृत किये जायेगें ऐसे मामलों में जिस भवन या भूमि पर यूनिट स्थपित होगी उसे प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में लिया जायेगा तथा सीजीटीएमएसई द्वारा गारण्टी कवर से आच्छादित पोर्शन पर कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं ली जायेगी किन्तु ऋण का जो पोर्शन गारण्टी कवर से आच्छादित नहीं है, उसे हाईबिड मॉडल शेष धनराशि के ऋण के डेढ़ गुना मूल्य के बराबर कोलेट्रल सिक्योरिटी लेकर ऋण अनुमन्य किये जायेंगे। इस प्रकार बैंक का ऋण शत प्रतिशत सुरक्षित हो जायेगा।

- स्टॉक का रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर हाइपोथिकेशन किया जायेगा (Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises(CGTMSE) गारण्टी कवर से आच्छादित एवं सीजीटीएसएमई गारण्टी कवर से न आच्छादित होने वाले दोनों पर लागू होगा एवं प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में होगा।)

- जो ऋण Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises(CGTMSE) के अन्तर्गत आच्छादित नहीं होंगें उनमें प्राईमरी सिक्योरिटी के साथ–साथ ऋण राशि की डेढ़ गुना मूल्य की कोलेट्रेल सिक्योरिटी (अचल सम्पत्ति) या एक गुना मूल्य की एनएससी, किसान विकास पत्र प्रतिभूति के तौर पर लिया जायेगा तथा कोलेट्रल सिक्योरिटी को सरसई पोर्टल पर अपलोड एवं डाउनलोड भी करना होगा।

- स्टाक को हाईपोथिकेट/प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में रखा जायेगा।

- प्रत्येक माह की 10 तारीख तक स्टाक स्टेटमेन्ट एमएसएमई ऋणी से प्राप्त किया जायेगा तथा बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण के अनुसार स्टाक का आंकलन किया जायेगा।

- Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises(CGTMSE) गारण्टी कवर से आच्छादित ऋणों पर गारण्टी कवर की सीमा तक कोलेट्रल सिक्योरिटी या थर्ड पार्टी गारण्टी नहीं ली जायेगी, किन्तु ऋण का जो भाग (पोर्शन) गारण्टी कवर से आच्छादित नहीं है उसके लिए डेढ़ गुना मूल्य की कोलेट्रल सिक्योरिटी (अचल सम्पत्ति) तथा दो गारण्टर्स लिये जायेगें, तथा ऋण के इस भाग को निर्धारित राशि के स्टाम्प पर साम्य बन्धक कराया जायेगा।

- 12 वर्षीय नॉन इन्कम्ब्रेन्स सर्टिफिकेट अधिवक्ता के माध्यम से लिया जायेगा।

- साम्य बन्धक करने के लिए ऋण राशि का 0.5 प्रतिशत या रू0 10000.00 के स्टाम्प ऋणी से लिये जायेंगे और कोलेट्रल सिक्योरिटी को साम्य बन्धक कराया जायेगा।

सीजीटीएमएसई गारण्टी कवर में निर्धारित राशि के स्टाम्प पर प्राइमरी सिक्योरिटी ली जायेगी।

- जो ऋण Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises(CGTMSE) के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हैं अथवा वे ऋण जिनका वह भाग जो Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises(CGTMSE) के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है ऐसे मामलों में ऋण फर्म के मालिक/ मालिकों/प्रमोटर्स की व्यक्तिगत गारण्टी के साथ–साथ दो गारण्टर्स की भी गारण्टी ली जायेगी एवं ऋण राशि के डेढ़ गुना मूल्य की कोलेट्रल सिक्योरिटी (अचल सम्पत्ति) भी ली जायेगी या एक गुना मूल्य के एनएससी, किसान विकास पत्र, एफडीआर लेकर ऋण स्वीकृत किये जायेगें तथा इन्हें बैंक के पक्ष में प्लेज कराना होगा।

- जो मैन्यूफैक्चरिंग या सेवा यूनिट किराये के भूमि/भवन में संचालित हैं या संचालित होने वाले हैं में कम से कम 10 साल या उससे अधिक की लीज़ डीड जैसा कि परिपत्र के नोट में वर्णित है, के अनुसार प्राप्त करनी आवश्यक होगी तथा जिस व्यक्ति का उक्त भूमि/भवन का मालिकाना हक है उससे इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि उक्त मैन्यूफैक्चरिंग या सेवा यूनिट लगाने में उसको कोई आपत्ति नहीं, यदि लोन की सुरक्षा की दृष्टि से यूनिट रैन्टेड सम्पत्ति पर स्थापित की गयी है या स्थापित की जा रही है तो मालिक बैंक तथा मैन्यूफैक्चरर (एमएसएमई यूनिट) के मध्य रैन्टेड प्रापर्टी के सम्बन्ध में त्रिपक्षीय अनुबन्ध पत्र कराया जाना यदि सम्भव हो तो उचित होगा। ऐसा अनुबन्ध पत्र सम्पत्ति के मालिक के उत्तराधिकारियों और एमएसएमई यूनिट के मालिक/ओनर पर भी लागू किया जाये।

- ऐसे मामलों में जहॉ फर्म/यूनिट जिस भूमि/भवन में चल रही है या स्थापित है अथवा स्थापित की जानी है, उसमें प्लान्ट/मशीनरी को प्राइमरी सिक्योरिटी (Credit Guarantee loan में) के रूप में रखा जायेगा तथा अन्य ऋणों में जो क्रेडिट गारण्डी से आच्छादित नहीं होगें उनमें डेढ़ गुना मूल्य की कोलेट्रल सिक्योरिटी (अचल सम्पत्ति) ली जायेगी या एक गुना मूल्य का एफडीआर, एनएससी, किसान विकास पत्र लेकर ऋण स्वीकृत किया जायेगा तथा इन्हें बैंक के पक्ष में बन्धक कराना होगा।

- सीजीटीएमएसई गारण्टी कवर की फीस ऋणी/फर्म के माध्यम से ली जायेगी तथा ऋणी से इस आशय की अण्डरटेकिंग ली जायेगी कि उक्त फीस देने में उसे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है तथा उसके खाते से यह फीस प्रतिवर्ष सीजीटीएमएसई द्वारा निर्धारित फीस के अनुसार डेबिट कर ली जायेगी।

11. **बीमा :–**

- जो ऋण Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises(CGTMSE) के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हैं, उनका बैंकर्स क्लॉज के अन्तर्गत उनका बीमा आग, चोरीं, प्राकृतिक आपदा का इन्श्योरेन्स ऋणी की लिखित सहमति प्राप्त कर कराना होगा।

- जो ऋण Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) के अन्तर्गत आच्छादित हैं उनमें बीमा सीजीटीएमएसई द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

12. **क्रेडिट स्कोर की जाँच** :–

- ऋण लेने वाले व्यक्तियों, ऋण लेनी वाली फर्म दोनों का ही सिबिल स्कोर प्राप्त किया जायेगा। ऋणी/ऋणियों का सिबिल स्कोर 700 से नीचे नहीं होना चाहिए तथा ऋण लेने वाली फर्म का सिबिल एमएसएमई रैंक (सीएमआर) 01 से 6 तक है तो ऋण अनुमन्य किया जायेगा। यदि 06 से ऊपर है तो ऋण किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जायेगा। (सीएमआर रैन्क के सम्बन्ध में ट्रान्स यूनियन सिबिल से सुझाव मांगा गया था जिसके आधार पर सीएमआर रेटिंग निर्धारित की गयी है)

- नये उद्यमियों हेतु फिट रैन्क देखी जायेगी। फिट रैन्क की गणना ऋणी के बैंक स्टेटमेण्ट, आईटीआर एवं जीएसटी रिटर्न के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा फिट रैन्क 01 से 06 तक होगी तो ऋण स्वीकृत किया जायेगा यदि फिट रैन्क 06 से ऊपर होगी तो ऋण स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

- नये एमएसएमई के मामलों में जहां सीएमआर रैन्क नहीं है वहां पर फिट रैन्क के साथ–साथ फर्म आदि के डायरेक्टर, पार्टनर, प्रोपराईटर की सिबिल स्कोर रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी तथा जिन ऋणियों की सिबिल स्कोर नहीं आ रही है ऐसे मामलों में उनका एनटीसी स्कोर के आधार पर ऋण स्वीकृत या अस्वीकृत किया जायेगा।

- यदि नये ऋणियों का एनटीसी स्कोर 131 या उससे ऊपर है तो बैंक ऋण स्वीकृत करेगा एवं यदि 131 से नीचे है तो ऋण स्वीकृत नहीं करेगा।

13. **स्वीकृत ऋण की वसूली** :–

- टर्म लोन की वसूली यदि मेराटोरियम पीरियड की सुविधा नहीं ली गयी है, तो 60 समान किस्तों (इक्वीटेड) में ऋण की वसूली की जायेगी। अन्य मामलों में ऋण की वसूली परिपत्र में ऊपर दी गयी व्यवस्था के अनुरूप होगी।

14. **फीस**

प्रशासनिक शुल्क रू0 200.00 + जीएसटी तथा प्रोसेसिंग फीस 0.35 प्रतिशत या अधिकतम रू0 10000.00+जीएसटी ली जायेगी एवं उद्यमियों एवं उनकी फर्म/यूनिट को तथा गारण्टर्स को बैंक का नाम मात्रिक सदस्य अवश्य बनाया जायेगा।

अधिवक्ता के माध्यम से प्राप्त रिपोर्टों हेतु अधिवक्ता द्वारा चार्ज की जाने वाली फीस, स्टॉक/परिसम्पत्तियों आदि का वैल्यूवेशन कराने के लिए वैल्येवूशन फीस तथा स्टॉक का आडिट करने या अन्य कोई आडिट करने जैसा बैंक उचित समझे के सम्बन्ध में जो फीस आडिटर द्वारा चार्ज की जायेगी उसे ऋणी द्वारा वहन किया जायेगा।

सीजीटीएमएसई फीस ऋणी से ली जायेगी (सीजीटीएमएसई द्वारा समय–समय पर निर्धारित)

15. ऋण अवमुक्त करने के सम्बन्ध में :–

बैंक द्वारा निर्धारित नियमों/शर्तों का पूर्ण रूपेण पालन करने के पश्चात् ही टर्म लोन या कैश क्रेडिट ऋण सीमा स्वीकृत की जायेगी।

16. प्रपत्र

- व्यवसाय के सम्बन्ध में डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर), विगत 03 वर्षों की बैलेन्स शीट, 05 वर्षों की प्रोजेक्टेड बैलेन्स शीट, केवाईसी डॉक्यूमेण्ट जिसमें उद्योग आधार नम्बर, पैन नम्बर (फर्म एवं फर्म को संचालित करने वाले व्यक्तियों) आदि प्राप्त किया जायेगा। ऋण का वित्तीय अप्रेजल एवं टेक्नीकल अप्रेजल सीए के माध्यम से कराया जायेगा।
- कैश फ्लो स्टेटमेण्ट प्राप्त किया जायेगा।
- पार्टनरशिप फर्म के मामलों में पार्टनरशिप डीड प्राप्त की जायेगी तथा उसका भलीभांति अध्ययन कर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।
- मेमोरेन्डम ऑफ एसोसियेशन, आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन, लेटर ऑफ इन्कारपोरेशन सम्बन्धित फर्म/यूनिट से प्राप्त करना होगा। एमएसएमई फर्म/यूनिट के चालू खाते ऋण खाते सीसी खाते का संचालन किसके द्वारा किया जायेगा के सम्बन्ध में फर्म के अधिकृत व्यक्तियों/बोर्ड के प्रस्ताव के आधार पर खातों का ऑपरेशन कराया जायेगा।
- रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज में बैंक के पक्ष में प्रथम चार्ज क्रियेट कराना होगा। (जहाँ आवश्यक होगा तभी लागू होगा)
- प्रति माह के समाप्त होने के पश्चात् अगले माह की 10 तारीख तक यूनिट/फर्म/उद्यमी से स्टॉक स्टेटमेण्ट का सर्टिफिकेट, जो उसके द्वारा प्रमाणित किया जायेगा कि सही है, लिया जायेगा।
- बोर्ड की मीटिंग कम से कम एक क्वार्टर मे एक बार अवश्य होनी चाहिए या जैसा नियमों में व्यवस्था है, जैसा कम्पनीज एक्ट, कोआपरेटिव एक्ट या अन्य एक्ट मे व्यवस्था है, होनी चाहिए।
- डिमाण्ट प्रनोट, लेटर ऑफ क्रेडिट, हाइपोथिकेशन, लेटर ऑफ कन्टीन्यूटि आदि ऋणी से भराया जायेगा तथा प्रनोट पर निर्धारित राशि के रसीदी टिकट लगेंगे। (जो पूर्व से फॉरमेट चल रहे हैं उन पर कराया जायेगा)

17. चेक लिस्टः– संलग्न है।

आवश्यक दिशा–निर्देश

प्लान्ट, मशीनरी, स्टाक आदि जो भी ऋणी द्वारा बैंक से लिये गये ऋण के माध्यम से बनाया जायेगा उसको बैंक के पक्ष में हाइपोथिकेट कराया जायेगा।

NOTE:

- The borrower will be required to submit proof of his ownership of the land/property on which he proposes to establish his Enterprise. Generally Loan will not be disbursed to any person who is not the Owner of the land or property on which the Enterprise is to be established but relaxation can be granted by appropriate authority at branch level if following conditions are fulfilled.
    1. The bank will not have direct exposure of security to Leased, Hire Purchased and Rented properties, either primary or collateral.
    2. The Bank may extend credit facilities to such borrowers having security as Leased, Hire Purchased and Rented properties on subject to the fulfillment of the following conditions.
        1. It is in commercial area (not residential).
        2. Unexpired Lease/Registered Agreement period in 10 years or more at the time of sanction.
        3. With Prior written approval of Appropriate Authority (at Branch)

अग्रेतर बैंक द्वारा निर्गत एमएसएमई नीति परिपत्र सं0–बैंकिंग/एमएसएमई/एफ–304/2022–23/579, दिनांक–22.02.2024 में निर्गत फाइनेन्शियल रेशियो (बिन्दु सं0–31) के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक : ऋण आवेदन फार्म, हाईपोथिकेशन डीड, ऋण अप्रेजल फार्म लोन एग्रीमेन्ट, चेक लिस्ट, प्रोविजनल एक्नालिजमेन्ट, नियम एवं शर्तें आदि

12.3.24

(आर0के0 कुलश्रेष्ठ)
प्रबन्ध निदेशक

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित</u> :–

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
3. मै0 मेगासाफ्ट को इस निर्देश के साथ कि वे एमएसएमई ऋण के सम्बन्ध में टर्म लोन हेतु एवं वर्किंग कैपिटल ऋण हेतु जीएल कोड आवंटित करें।
4. महाप्रबन्धक (आई0टी0) को इस निर्देश के साथ कि वे बैंक की वेबसाईट पर एमएसएमई परिपत्र अपलोड करना सुनिश्चित करें तथा एमएसएमई ऋण के सम्बन्ध में टर्म लोन हेतु एवं वर्किंग कैपिटल ऋण हेतु जीएल कोड आवंटित करें।
5. समस्त महाप्रबन्धक/विभाग प्रभारी, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय, लखनऊ।
6. निदेशक, कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, 472 रिंग रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
7. स्टाफ आफिसर–अध्यक्ष प्रकोष्ठ को अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 के अवलोकनार्थ।
8. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
9. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।

12.3.24

प्रबन्ध निदेशक

E:\loan 12.02.2.24\d drive\BKG 2\MSME\msme circular.doc

एमएसएमई यूनिट हेतु ऋण का अप्रेजल

1	एमएसएमई यूनिट का नाम. एवं रजिस्टर्ड पता	
2	एमएसएमई यूनिट का मोबाईल नम्बर तथा वैध ईमेल आईडी	
3	एमएसएमई यूनिट के गठन की तिथि	
4	एमएसएमई यूनिट के मालिक/ प्रोपराईटर्स/पार्टनर्स का नाम एवं पता	
5	एमएसएमई यूनिट का पैन नम्बर/ जीएसटीएन एव उद्योग आधार नम्बर	
6	एमएसएमई यूनिट के रजिस्ट्रेशन की तिथि एवं नम्बर	
7	एमएसएमई यूनिट के निवेश एवं टर्न ओवर के आधार पर यूनिट माइको/ स्मॉल/मीडियम में से किस श्रेणी में है।	

8	एमएसएमई यूनिट किस एक्ट में रजिस्टर्ड है।	
9	एमएसएमई यूनिट किस क्षेत्र में व्यवसाय कर रही है।	
10	एमएसएमई यूनिट को ऋण अप्रेजल की तिथि	
11	अप्रेजलकर्ता का नाम	
12	एमएसएमई यूनिट की बैक शाखा से दूरी	
13	एमएसएमई यूनिट का बोर्ड गठित है अथवा नहीं	
14	एमएसएमई यूनिट बोर्ड के सदस्यों की संख्या	
15	एमएसएमई यूनिट बोर्ड सदस्य ब्लड रिलेशन में अथवा नहीं	
16	एमएसएमई यूनिट के बोर्ड के सदस्यों की संख्या	
17	एमएसएमई यूनिट में वर्तमान में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं।	
18	एमएसएमई यूनिट बोर्ड गठन की तिथि	
19	एमएसएमई यूनिट द्वारा सीजीटीएमएसई की गारण्टी ली जायेगी अथवा नहीं	
20	एमएसएमई यूनिट सरकार या अन्य संस्थाओं द्वारा प्रतिबन्धित व्यवसाय तो नही कर रहा है	
21	एमएसएमई यूनिट द्वारा नियामक संस्थाओं से एनओसी प्राप्त कर ली गयी है तो उन संस्थाओं का नाम	
22	बैंक में एमएसएमई यूनिट ने अपना चालू/सीसी खाता खुलवाया है या नहीं	
23	एमएसएमई यूनिट के खाते का संचालन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम	

24	एमएसएमई यूनिट द्वारा ऋण हेतु आवेदित धनराशि	
25	एमएसएमई यूनिट द्वारा आवेदित धनराशि का प्रकार (टर्म लोन) (वर्किंग कैपीटल)	 रू0..................................लाख रू0.................................लाख
26	ऋण स्वीकृति योग्य धनराशि (टर्म लोन) (वर्किंग कैपीटल)	 रू0..................................लाख रू0.................................लाख
27	एमएसएमई यूनिट द्वारा आगामी 05 वर्षों हेतु डी.पी.आर. दी गयी है अथवा नहीं	
28	एमएसएमई यूनिट द्वारा पिछले 03 वित्तीय वर्ष की बैलेन्सशीट दी गयी है अथवा नहीं	
29	बैलेन्सशीट के आधार पर एमएसएमई यूनिट पिछले 03 वर्षों में लाभ पर है अथवा हानि पर	
30	एमएसएमई यूनिट के नेटवर्थ धनात्मक है अथवा ऋणात्मक (नेटवर्थ ऋणात्मक होने पर ऋण स्वीकृत नहीं किया जायेगा।)	
31	एमएसएमई यूनिट द्वारा स्वयं. उपलब्ध कराया जाने वाला मार्जिन	
32	एमएसएमई यूनिट द्वारा सीजीटीएमएसई गारण्टी कवर से न आच्छादित ऋण के भाग के लिए कितनी कोलेट्रल सिक्योरिटी दी गयी है।	
33	एमएसएमई यूनिट द्वारा प्राथमिक सिक्योरिटी के तौर पर कितनी धनराशि प्लान्ट मशीनरी हेतु दी जा रही हैं।	

34	सी0 के0 माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर एमएसएमई यूनिट को ऋण स्वीकृति योग्य धनराशि टर्म लोन वर्किंग कैपीटल लोन	रू0...................................लाख रू0..................................लाख
35	सिबिल कम्पनी द्वारा दी गयी क्रेडिट सीएमआर रेटिंग / फिट रेटिंग आदि का स्कोर	
36	सीएमआर रेटिंग / फिट रेटिंग आदि के अनुसार ऋण स्वीकृत हो सकता है अथवा नहीं	
37	क्या एमएसएमई यूनिट द्वारा किसी अन्य संस्थान से ऋण लिया गया है, यदि लिया गया है तो उस ऋण मे डिफाल्ट तो नहीं है	
38	• एमएसएमई यूनिट के मालिक / प्रोपराईटर आदि का सिबिल स्कोर कितना है। • एमएसएमई यूनिट के मालिक / प्रोपराईटर / पार्टनर्स / गारण्टर द्वारा लिये गये ऋण डिफाल्ट तो नहीं किये गये हैं।	
39	बैंक द्वारा निर्गत एमएसएमई नीति परिपत्र सं0–बैंकिंग / एमएसएमई / एफ–304 / 2022–23 / 579, दिनांक–22.02.2024 में निर्गत फाइनेन्शियल रेशियो (बिन्दु सं0–31) के अनुसार कार्यवाही की गयी है अथवा नहीं	

मेरे द्वारा (नाम...) पदनाम.......................................एमएसएमई यूनिट जिसका नाम... ....है, से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं जैसा कि परिपत्र एवं नीति में वर्णित है, का सत्यापन कर लिया गया है । अतः मैं (........... ....) **एमएसएमई यूनिट** को

रू0 ....(शब्दों में...
मात्र) का ऋण स्वीकृत करने की संस्तुति करता हूं।

अप्रेजलकर्ता अधिकारी का नाम...
पदनाम...
अप्रेजल का दिनांक..
शाखा का नाम..

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0

मुख्यालय : 2, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ–226 001

APPLICATION FOR MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES (MSME) FOR LOANS UP TO Rs.60.00 LAKH

(To be submitted along with documents as per the checklist)

1.	Name of the Unit / Applicant	
2.	Regd. Office Address	
3.	Address of the factory /Shop/ Business	

Telephone No.		Mobile No.	
E-mail ID			

4. Category	√	SC	ST	OBC	Minority	General	
5. Constitution	√	Proprietary	Partnership	Pvt. Ltd.	Ltd. Company	Co-op.society	Any Others (Specify)

6. Date of Establishment (DD/MM/YYYY)		PAN No	

7 Details of Proprietor/Partners/Directors Of Company*			
	First	Second	Third
Name			
Age (year)			
Academic qualification			
Residential address			
PAN No.			
Telephone no./Mobile			
Years of Experience in the line			

*Use separate sheet, if required.

8.	Line of activity	Existing :	
		Proposed (#)	

if a different activity other than existing activity.

9. Names of Associate Concerns and Nature of Association

Name of the Associate concern	Addresses of the Associate Concern	Presently Banking with	Nature of Association	Extent of Interest as a Prop./Partner Director/or Just investor in Associate concern

10.	Relationship of Proprietor/Partner/ Director with the officials of the Bank/Director of the Bank	

10(a)	Credit Facilities (Existing)						
	Type of facilities	Limits (in lakhs)	Outstanding as on ………	Presently banking with	Security lodged	ROI	Repayment terms
	Current Account						
	Cash Credit						
	Term Loan						
	LC/BG						
	If Banking with UPCB, customer ID to be given,						
10(b)	It is certified that our unit has not availed any loan from any other Bank/Financial Institution in the past and I am no indebted to any other Bank/Financial Institution other than those mentioned in 10(a) above.						

11	Credit Facilities (proposed)				
	Type of Facilities	Amt. (In lakh)	Purpose for which required	Security offered	
				Primary security (details with approx. value to be mentioned)	Whether collateral security offered
	Cash Credit				Yes/No
	Term Loan				Yes /No
	LC/BG				Yes/No

15	Status regarding statutory obligations		
	Statutory Obligations	Whether complied with) Write Yes/No). If not, applicable then write NA	Remarks (Any details in connection with the relevant obligation to be given)
1.	Registration under shops and Establishment Act		
2.	Registration under SSI (Provisional/Final)		
3.	Drug License (if applicable)		
4.	Latest VAT Tax Return Filed		
5.	Latest Income Tax Return Filed		
6.	Any other statutory dues remaining outstanding		
7.	Any other specify		

16.	SPACE FOR THE PHOTO	SPACE FOR THE PHOTO	SPACE FOR THE PHOTO
	SIGNATURE	SIGNATURE	SIGNATURE
	Only one photo of proprietor/each partner/each working Director is required to be affixed.		

I/We certify that all information furnished by me/us is true; that I/We have no borrowing arrangements for the unit except as indicated in the application; that there is no overdue/statutory dues against me/us/promoters except as indicated in the application; that no legal action has been/is being taken against me/us/promoters that I/We shall furnish all other information that may be required by you in connection with my/our application that his may also be exchanged by you with any agency you may deemed fit and you, your representatives,. representatives of the Reserve Bank of India or any other agency as authorized by you, may at any time, inspect/verify my/our assets, books of account etc. in our factory/business premised as given above.

Date...........
Place..........

Signature of Applicant (s)

For Branch use:

1. Application received and entered.
2. Acknowledgment given to applicant.
3. Photo & Signature of applicant should be attested/verified by Branch official.

Signature of Branch Official

CHECK LIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED BY THE CUSTOMER

1) Proof of identity – Voter's ID Card/Passport/Driving License/PAN Card/signature identification from present bankers of proprietor, partner or Director (if a company).
2) Proof of residency – Recent telephone bills, electricity bill property tax receipt/voter's ID Card of proprietor, partner or Director (if a company)
3) Proof of business address
4) Proof of Minority
5) Applicant should not be defaulter in any Bank/F.I.
6) Last three years balance sheets of the units along with income tax/sales tax returns etc. (Applicable for all cases).
7) Memorandum and articles of Association of the Company/Partnership Deed of partners etc.
8) Assets and liabilities statement of promoters and guarantors along with latest income tax returns.
9) Rent Agreement (if business premises on rent) and clearance from pollution control board if applicable.
10) MSME registration or any other registration certificate, if applicable.
11) Projected balance sheets for the next 5 years in case of working capital term loan limits.
12) The audited balance sheets are necessary for all cases.
13) Profile of the unit (includes names of promoters, other directors in the company, the activity being undertaken, addresses of all offices and plants, shareholding pattern etc.
14) Last three years balance sheets of the MSME Unit.
15) Project report (for the proposed project if term funding is required) containing details of the machinery to be acquired, from whom to be acquired, price, names of suppliers, financial details like capacity of machines, capacity utilization assumed, production, sales, projected profit and loss and balance sheets for the 5 years till the propose loan is to be paid, the details of labour, staff to be hired, basis of assumption of such financial details etc.
16) Review of account containing month-wise sales (quantity and value both), production (quantity and value), purchased raw material (quantity and value), indigenous raw material (quantity and value), value of stocks in process, finished goods (quantity and value), debtors, creditors, bank's outstanding for working capital limits , term loan limits & etc.
17) Photocopies of lease deeds/title deeds of all the properties being offered as primary and collateral securities.(Other than CGTMSE Guarantee cover)
18) Position of accounts from the existing bankers and confirmation about the asset being Standard with them.
19) Manufacturing process if applicable, major profile of executives in the Unit, any tie-ups, and details about raw material used and their suppliers, (details about the buyers, details about major competitors and the company's strength and weakness as compared to their competitors etc.

(The Check is list is only indicative and not exhaustive and depending upon the local requirements at different places addition could be made as per necessity).

Date----------------

Provisional Acknowledgement

Received application for credit facility of Rs. ------------------

A system generated acknowledgment shall be sent to you through email and SMS on registered email and mobile phone containing user ID and password through which you can track the status of your application by logging on our corporate website -----------------------

Signature of Branch Official

____

उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0,

शाखा——————————————

ऋण स्वीकृत पत्र

पत्रांक :   दिनांक :

सेवा में,

——————————————

——————————————

——————————————

महोदय / महोदया,

आपके द्वारा बैंक की शाखा————————— को दिनांक —————————— को दिये गये एमएसएमई ऋण आवेदन पत्र के कम में आपको रू0 ———————————— लाख का टर्म / वर्किंग कैपिटल ऋण ———— प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर स्वीकृत किया जाता है, आपके द्वारा उक्त ऋण पर सीजीटीएमएसई गारन्टी ली गयी है / नहीं ली गयी है।(जो लागू न हो उसे काट दें)

उक्त ऋण बैंक द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो के अधीन अवमुक्त किया जायेगा तथा ऋणी फर्म को बैंक द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो को स्वीकार करना होगा।

भवदीय

उप महाप्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक

उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक

शाखा ——————————

Hypothecation of Goods/Machines/stock to secure A Demand Term Loan
U.P. Cooperative Bank Ltd..

Amount Rs........................
Name ....

The U.P. Cooperative Bank Ltd........................ hereinafter called ("the Bank" having at the request of .... hereinafter called "the Borrowers") opened or agreed to open in the books the Bank at .... a Term Loan account of Rupees... with the Borrowers to remain in force untill closed by the Bank and to be secured by goods/machine/stock to be hypothecated with the bank it is hereby agreed between the bank and the Borrowers (the Borrowers agreeing jointly) as follows :

1. The Boorrowers hereby hypothecated in favour of the Bank /the Stocks/ goods/ Machine described in general terms in the Schedule (hereinafter referred to as "the hypothecated goods/machines/stocks) which expression shall include all producers, goods, machine and moveable property of any kind belonging to the Borrowers which now or hereinafter from time to time during this security shall be brought in, stored or be in or about the Borrowers premises or godowns at .... or wherever else the same may be a security for the payment by the Borrowers to the bank of the balance due to the bank at any time or ultimately on the closing of the said Term Loan account and for the payment of all debits and liabilities montioned in the 13th clause hereof. The expression "the balance due to the Bank" in this and the subsequent clause of this Agreement shall be taken to include the pricipal money from time to time due on the said Trem Loan Account and also all interest thereon calculated from day to day at the rate hereinafter mentioned and the amount of all charges and expenses which the bank may have paid or incurred in any connection with the hypothecated goods or the sale or disposal there of.
2. That the hypothecated goods/machines/stocks and all sales realisation and Insurance proceeds there of shall be held as the Bank's exclusive property specially appropriated to this security and the Borrowers will not create any mortagage, charge lien or encumbrance effect the same or any part thereof not do anything which would prejudice this security, and the Borrowers shall not part with the hypothecated goods save by way of sale in ordinary course of the Borrowersbusiness and as hereinafter provided nor shall any sale be made after prohibition in writing from the bank against selling.
3. That the Borrowers shall with the previous consent of the Bank be at liberty from time to time to sell or dispose of in any manner the hypothecated goods/stocks/machines or any part thereof provided the advanced value of such goods/stocks/machines in paid into the said account or goods of a similar nature to those mentioned in the schedule hereto or any of the same, and of atleast equal value, are substituted for the goods so sold or disposed of after approval of the Bank obtained in writing.
4. The Borrowers shall permit the Bank their agents and employees from time to time and at all times to enter upon any godowns or premises wherein the hypothecated goods or any part thereof may for the time being be and to view inspect and value the same and take inventories thereof or to take possession thereof and render to the Bank and their employees all facilities as may be required for any of the purposes afore said.

5. The borrowers shall continuously pay all rents, rates, taxes and other outgoings of the godowns and premises where in the hypothecated goods shall be kept the same free from any distress.
6. That the hypothecated goods/machines/stocks shall be insured against fire risk by the borrowers in some insurance office or offices approved by the Bank and in the name and for the sole benefit of the Bank for their full market value and that the Borrowers will on demand delivery to the bank all policies for and receipts for premium paid on such insurance endorsed and assigned with the full benefit there of in favour of the Bank should be Borrowers fail to so insure or fail to deliver the policies or Receipts for premium duly endorsed as aforesaid three days after demand the Bank shall be at liberty to effect such insurance at the expense of the Borrowers.
7. That all sums received under any such insurances as aforesaid shall be applied in or towards the liquidation of the balance due to the Bank for the time being and in the event of there being a surplus the same shall be applied as provided by the 13th clause hereof.
8. That the Borrowers shall make and furnish to the Bank all statements and returns of the cost and market value of the hypothecated goods/machines/stocks and a full description thereof and produce such evidence in support thereof as the Bank may from time to time require and shall maintain in favour of the Bank a margin of .... percent between the market value from time to time of the hypothecated goods/machines/stocks and the balance due to the Banks for the time being. Such margin shall be calculated on the open market value of the hpothecated goods/machines/stocks as fixed by the bank from time to time and shall be maintained by the Borrowers either by the hypothecation of further goods to be approved by the Bank in the writing or by cash payment by the Borrowers immediately on the market value for the time being of the hypothecated goods becoming less than the aggregate of the balance due to the Bank plus the amount of the margin calculated above.
9. That interest at the rate of .... percent per annum with .... rests shall be calculated and charged on the Daily balance in the Bank's favour due upon the said term loan Account until the same is fully liquidated and shall be paid by the Borrowers as and when demanded by the Bank.
10. That on demand by the Bank the Borrowers shall pay to the Bank the balance then due to the Bank on the said Term Loan Account together with all further interest at the rate above mentioned and the amount of all further charges and expenses if any to the date to payment provided that nothing here in thisclause contained shall be deemed to prevent the Bank from demanding payment of the interest for the time being due at the above mentioned rate without at the same time demanding payment of the Balance due to the Bank exclusive of such interest.
11. The Bank and their officers and Agent shall be entitled at any time as if absolute owners and without notice to the Borrowers but at the Borrowers risk and expenes and if so required as attorneys for and in the name of the Borrowers to enter and remain at any place where the hypothecated goods/machines/stocks shall be and to take possession of, recover and receive the same and/or appoint any officerof the Bank as receivers or receiver of the goods/machines/stocks and/or sell by public auction or private contract otherwise dispose of or deal with all or any part of the hypothecated goods/machines/stocks and to enforce realise settle compromise and deal with any of the rights aforesaid without being bound to exercise any of these powers or being liable for any loss in the exercise thereof and without prejudice to the Bank's rights and remedies of suit against the Borrowers and to apply the net proceeds of such sale

in or towards liquidation of the balance due to the Bank and the Borrowers hereby agree to accept the or Bank's accounts sales of realisation and to pay any short fall or deficiency therein shown.

12. That if the net sum realised by such sale be insufficient to cover the balance then due to the Bank, the Bank shall be at liberty to apply any other money or moneys in the hands of the Bank standing to the credit of or belonging to the Borrowers or any one or more of them in or towards payment of the balance for the time being due to the Bank and in the event of there not being any such money or moneys as aforesaid in the hands of the Bank or in the event of such money or moneys being still insufficient for the discharge in full of such balance the borrowers promise and agree forthwith on production to them of an account to be prepared and signed as in the 14th clause hereinafter provided to pay any further balance which may appear to be due by the Borrowers thereon, PROVIDED ALWAYS that nothing herein contained shall be deemed to negative qualify or otherwise prejudicially affect the right of the Bank which it is hereby expressly agreed the Bank shall have to recover from the Borrowers the Balance for the time being remaining due from the Borrowers to the Bank upon the said Term Loan Account not with standing that all or any of the said hypothecated goods/machine/stock may not have been realised.

13. That in the event of there being a surplus available of the net proceeds of such sale after payment in full of the balance due to the Bank it shall be lawful for the Bank to retain and apply the said surplus together with any other money or moneys belonging to the Borrowers or any one or more of them for the time being in the hands of the Bank in or under whatever account as far as the same shall extend against in or towards payment or liquidation of any and all other moneys which shall be or may became due from the Borrowers or any one, or more of them whether solely or jointly with any other person or persons, firms or company to the Bank by way of Loans, Discounted Bills, Letters of Credit, Guarantees Charges or of any other debt or liability including Bills, Notes, Credits and other obligations current though not then due or payable or other demands legal or equitable which the Bank may have against the Borrowers or any one or more of them or which the law of set off or mutual credit would in any case admit and whether the Borrowers or any one or more of them shall become or be adjudicated Bankrupt or insolvent or be in liquidations or other wise and interest hereon from the date on which any and all advance or advances in respect there of shall have been made at the rate or respective rates at which the same shall have been so advanced.

14. The Borrowers agree to accept as conclusive proof of the correctness of any sum claimed to be due from then to the Bank under this agreement a statment of account made out from the Books of the Bank and signed by the Manager or other duly authorised officer of the Bank without the production of any other voucher, document or paper.

15. The Borrowers hereby declare that all the hypothecated goods/machine/stock are the absolute property of the Borrowers at the sole disposal of the Borrowers and Free from any prior charge or incumbrance and that all future goods/machine/stock and property hereunder shall be likewisetheir unencumbered undisposed property and the the Borrowers have not done or knowingly suffered or been party or privy to anything whereby they are in any wise prevented from hypothecating the hypothecated goods/machines/stocks in manner aforesaid and that the Borrowers will do and execute at their costs all such acts and things for further and more particularly assuring the hypothecated goods/machines/stocks or any part there of to the Bank as

shall be required by the Bank and for giving better effect to these presents the Borrowers authorise and irrevacably appoint the Bank and/or their officers as attorneys and attorney for and in the name of the Borrowers to act on behalf of the Borrowers and to execute and do any act assurance and things which the Borrower sought to execute and to under the so presents and generally to use the name of the Borrowers in the exercise of the powers hereby conferred.

16. Provieded always that this Agreement is not to prejudice the rights or remedies of the Bank against the Borrowers irrespective and independent of this Agreement in respect of any other advances made or to be made by the Bank to the Borrowers.
17. In case the Borrowers shall be a firm or members of a firm no change whatsoever in the constitution of such firm during continuance of this agreement shall in pair or discharge the liability of the Borrowers or any one or more of them thereunder.
18. Any dispute arising as to the interpretation of these rules shall be referred to the Registrar Cooperative Societies, Utter Pradesh, whose decision in the matter shall be final.

IN WITNESS WHEREOF, the Borrowers have hereunto set their hands this .... day of .... the Christian Year Two Thousand................

Signature of Borrower

Uttar Pradesh Cooperative Bank Limited

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE BANK LIMITED, LUCKNOW, through

their office..having at the request of..(hereinafter called the Borrowers) undertaken to open in the Books of the Bank at..a Loan account with the Borrwers upto..maximum limit of Rs......................................(Rupees...)

IT IS AGREED AS FOLLOWS:

1. That the Bank shall not, under this Agreement, be required to make advances to such an amount that the total dues in this account including interest and other charges may, at any time, exceed the sum of Rs..The Borrowers shall, however, be responsible of the payment of the entire amount that may, at any time be due in this amount although such amount may exceed to the above mentioned limit.
2. That interest at the rate of..percent per annum with monthly interest shall be calculated on the daily balances of the said account and shall be charged to the account on the last working day of every month and it will from part of the principal and will carry interest at the above mentioned rate. In case the Reserve Bank of India Rate is ....% or above the borrowers shall be liable to be charged interest at......................% above the said Reserve Bank of India rate.
3. That on demand being made by the Bank, the borrowers shall pay the Bank the balance then outstanding and owing to the Bank, on the said account inclusive of interest at the above mentioned rate of the date of payment, together with all the Charges and expenses charged or incurred by the Bank as ascetained by the books of the said Bank which the Borrowers agree to accept sufficient proof of the correctness thereof, without the production of any voucher or paper.
4. That should the Bank have to make legal proceedings for recovery of its dues, Borrowers will be liqable for all-costs incurred by the Bank till recovery of its full amount including the costs undertaken before filling of suit.
5. That relative pronote, dated................................for Rs......................................has been executed by the Borrowers in favour of the Bank to secure payment of any sum which may at any time be due to the Bank on such amount.
6. That the Borrowers shall not be entitled to any interest for any sum which may at any time stand to their credit in this account.
7. That the Bank will always be at liberty to stop making advance at any time without previous notice and without assigning any reason, even though the said Loan of Rs..has not been fully availed of.
8. That the borrowers futher agree to pay interest at the stipulated rate on................................portion of the aforesaid Loan even if the Loan is not availed of at all, or on amount less than the aforesaid portion is borrowed or even if there is a credit balance in favour of the Borrowers.

9. That the Borrowers also agree that any dispute arising as the interpretation of the contract or the amount due etc. There under shall be referred to the Registrar Cooperative Societies, Uttar Pradesh whose decision in the matter shall be final and binding on us.

Date at..............................this...............................day of..........................20

witnessed by:-

Signature of Borrower of Borrowers

(1)...	(1)..
Address...	(2)..
(2)...	(1)..
Adress..	(2)..
....	For the Uttar Pradesh Coopraitve Bank Ltd.

Witnessed by:-

Address...

....

Asstt.Manager/Manager/Managing Director